Government of Rajasthan

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग

छठी मासिक रिपोर्ट

जुलाई, 2026

अनुक्रमणिका

1. प्रस्तावना 3
2. विभागीय कार्यकलाप 3
3. IFMS 3.0.. 4
4. (i) पेंशनर्स की संख्या एवं उनका वर्गीकरण 16
   (ii) आयु वर्ग के अनुसार पेंशनर्स का वर्गीकरण 16
   (iii)पेंशन भुगतान आदेश 17
   (iv)जून, 2026 से अगस्त, 2026 तक सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की विभागवार संख्या.................................. 20
5. परिवेदना निवारण 21
6. वृतांत 22
7. नवीन संशोधन / नियम / आदेश / निर्वचन........................... 24
8. पेंशन अदालत 28

संक्षिप्त परिचय

1. प्रस्तावना

पेंशन विभाग की स्थापना दिनांक 1 दिसम्बर, 1979 को हुई थी। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेंशन स्वीकृति आदेश जारी करने के पश्चात् पेंशन विभाग पेंशन अधिकृतियां जारी करता है। पेंशन विभाग का उद्देश्य विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को पेंशन परिलाभों का भुगतान करना है। वर्तमान में पेंशन विभाग द्वारा नवीनतम प्रक्रियाओं के माध्यम से कम्प्यूटर जनित सेवाओं का उपयोग किया जाकर पेंशन अधिकृतियां जारी किये जाने एवं पेंशन संबंधित परिवेदनाओं के निराकरण का कार्य किया जा रहा है। उक्त समस्त कार्यों का निष्पादन पेंशन विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ संभाग स्तर के कार्यालयों (अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर) द्वारा किया जा रहा है।

2. विभागीय कार्यकलाप :–

विभाग के द्वारा राज्य के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं राज्य केडर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन की मूल एवं संशोधित अधिकृतियॉ जारी करने, स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन एवं नकद राशि अधिकृत करने, पुलिस पदक, विशिष्ट और प्रशंसनीय सेवाओं, भूतपूर्व रियासतों के शासकों के हाउस होल्डर्स स्टाफ एवम् भूतपूर्व जागीर कर्मचारियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राजस्व मंडल, इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड, कर बोर्ड आदि के अध्यक्ष एवं सदस्यों एवम् नगरपालिका/परिषदों, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् तथा नगर विकास न्यास के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन भुगतान आदेश जारी करने एवं अन्य सेवानिवृत्ति परिलाभ भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी कार्य किये जाते हैं ।

साथ ही पेंशन विभाग के द्वारा मृत्यु एवं सेवानिवृति उपादान राशि अधिकृत करना एवं जीवनकालीन बकाया/पेंशन बकाया के भुगतान की स्वीकृति जारी करना आदि कार्य भी किए जाते हैं। वर्तमान में केन्दीकृत पेंशन वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत एकल आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा पेंशन परिलाभों को भुगतान संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

3. **IFMS 3.0 के माध्यम से पेंशन विभाग के द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं :–**

- सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक IFMS 3.0 पोर्टल से सुगमता से पेंशन प्रपत्र अपने SSO-ID पर लॉगईन कर ऑनलाईन माध्यम से तैयार कर कार्यालयाध्यक्ष को व कार्यालयाध्यक्ष पेंशन विभाग को ऑनलाईन प्रेषित करते हैं। विभाग के इस पोर्टल पर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक से प्राप्त पेंशन आवेदनों की ऑनलाईन जांच कर सेवानिवृत्त कार्मिक को पेंशन, ग्रेच्युटी एवं कम्यूटेशन की अधिकृतियां ई–हस्ताक्षर (E-Sign) द्वारा जारी की जा रही हैं। यह व्यवस्था अत्यन्त सरल एवं सुगम होने से समय की बचत होती है एवं इससे पेंशन प्रकरणों में अतिशीघ्र पेंशन की अधिकृतियां जारी किया जाना संभव हो सका है।

- पेंशन आवेदन के विभाग में प्राप्त होने के पश्चात ई–हस्ताक्षरित (E-Signed) अधिकृतियां जारी होने तक की प्रक्रिया में होने वाली प्रगति की जानकारी मोबाईल पर SMS के माध्यम से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को उपलब्ध करवायी जा रही है। इस पोर्टल से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को पेंशन प्रकरणों की प्रगति की ऑनलाईन स्थिति देखने एवं जारी की गई अधिकृतियों को download करने की सुविधा उपलब्ध है। पेंशन पोर्टल से दिनांक 01.06.2023 से दिनांक 31.12.2025 तक लगभग 53226 ई–हस्ताक्षरित (E-Signed) पेंशन अधिकृतियां जारी की जा चुकी हैं।

- दिनांक 30.09.2023 के पश्चात के प्रोविजनल सेवानिवृत्ति के पेंशन प्रकरण ऑनलाईन IFMS 3.0 पोर्टल से प्रेषित करने की सुविधा एवं दिनांक 25.10.2023 व इसके पश्चात के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पेंशन प्रकरण भी IFMS 3.0 पोर्टल से संचालित हैं। इस पोर्टल से जारी पेंशन, ग्रेच्यूटी एवं कम्यूटेशन की ई–हस्ताक्षरित (E-Signed) अधिकृतियों के रिवीजन प्रकरणों की सुविधा दिनांक 04.12.2023 से ऑनलाईन शुरू की जा चुकी हैं।

- पेंशनरों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार के अधिकारियों/कार्मिकों (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर) को स्वयं की SSO ID के माध्यम से ऑनलाईन ई–हस्ताक्षरित (E-Signed) जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जारी करने की सुविधा भी IFMS 3.0 पोर्टल पर उपलब्ध है।

- मासिक पेंशन स्लिप तथा पेंशन का वार्षिक विवरण देखने हेतु मोबाईल ऐप की सुविधा विकसित की गई है। इस मोबाईल ऐप के माध्यम से पेंशनर अपनी मासिक पेंशन, अतिरिक्त पेंशन तथा स्त्रोत पर आयकर की कटौतियों का विवरण देख सकते हैं।

- पारिवारिक पेंशनर्स की जन्म तिथि निर्धारण के संबंध में जारी आदेश को डिजीटल किया जाकर स्वतः कोषालय के लिगेसी डेटा में परिवर्तन किये जाने का प्रावधान किया गया है। जिससे पेंशनर को इस कार्य हेतु कोषालय में जाने की आवश्यकता नही है।

- राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 83 के अन्तर्गत संबंधित कर्मचारी को सेवनिवृत्ति की दिनांक से 6 माह पूर्व ही पेंशन प्रकरण अधिकृति जारी करने हेतु पेंशन विभाग को भिजवाया जा सकता है। इसके लिए कार्मिक सेवानिवृत्ति से 180 दिवस (6 माह) पूर्व अपनी स्वयं की SSO ID के माध्यम से IFMS 3.0 में Employee Self Service पर जाकर कुल 8 Fields को पूर्ण कर पेंशन प्रकरण स्वयं के विभाग (Head of office) में प्रस्तुत कर सकता है।
- कार्यालयाध्यक्ष (मेकर) के स्तर पर पारिवारिक पेंशनर द्वारा प्रस्तुत पेंशन प्रकरण का समुचित सत्यापन एवं अद्यतन उपरान्त दस्तावेज अपलोड कर पेंशन विभाग को निम्नानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर अग्रेषित किया जायेगा। **उक्त समस्त प्रक्रिया पूर्ण रूप से Paper less है।**

कार्यालयाध्यक्ष के मेकर लेवल पर जांच की जाने वाली व्यक्तिगत जानकारी

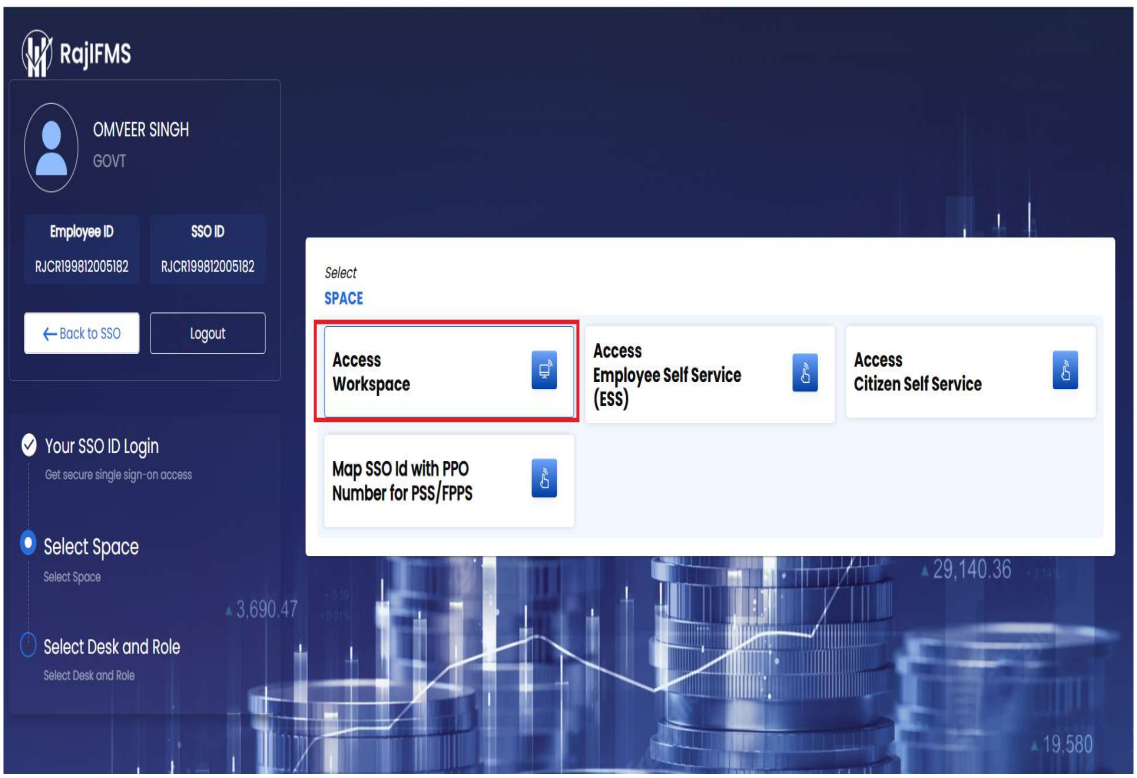

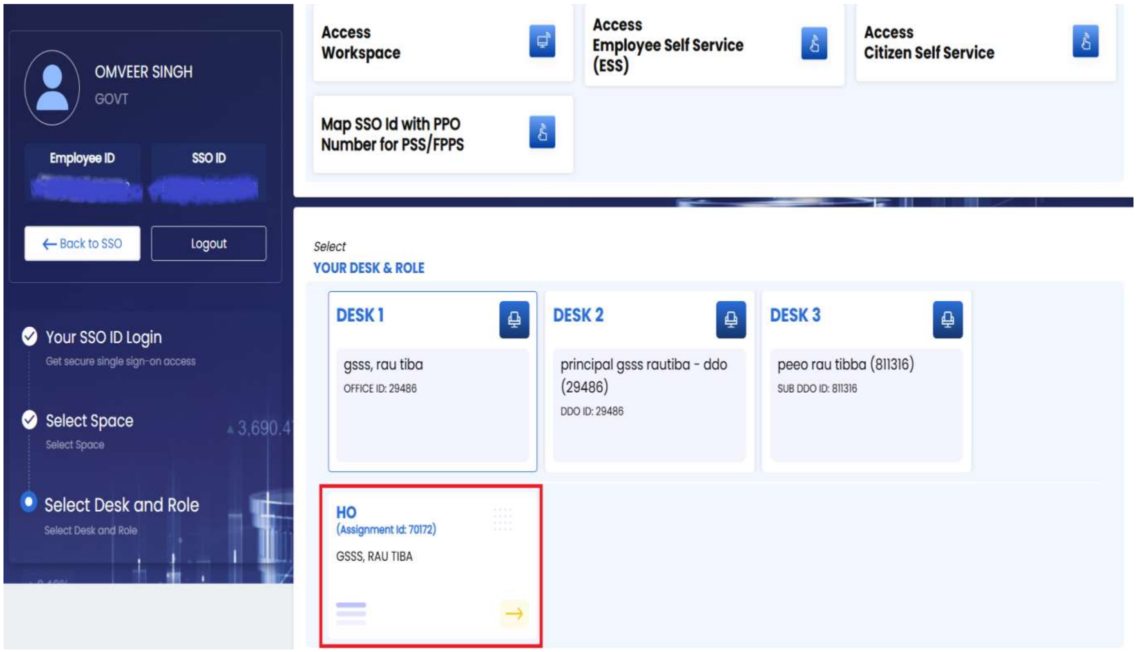
Access Workspace
Access Employee Self Service (ESS)
Access Citizen Self Service
Map SSO Id with PPO Number for PSS/FPPS
OMVEER SINGH
GOVT
Employee ID
SSO ID
Back to SSO
Logout
Your SSO ID Login
Get secure single sign-on access
Select Space
Select Space
Select Desk and Role
Select Desk and Role
Select
YOUR DESK & ROLE
DESK 1
gsss, rau tiba
OFFICE ID: 29486
DESK 2
principal gsss rautiba - ddo (29486)
DDO ID: 29486
DESK 3
peeo rau tibba (811316)
SUB DDO ID: 811316
HO
(Assignment Id: 70172)
GSSS, RAU TIBA

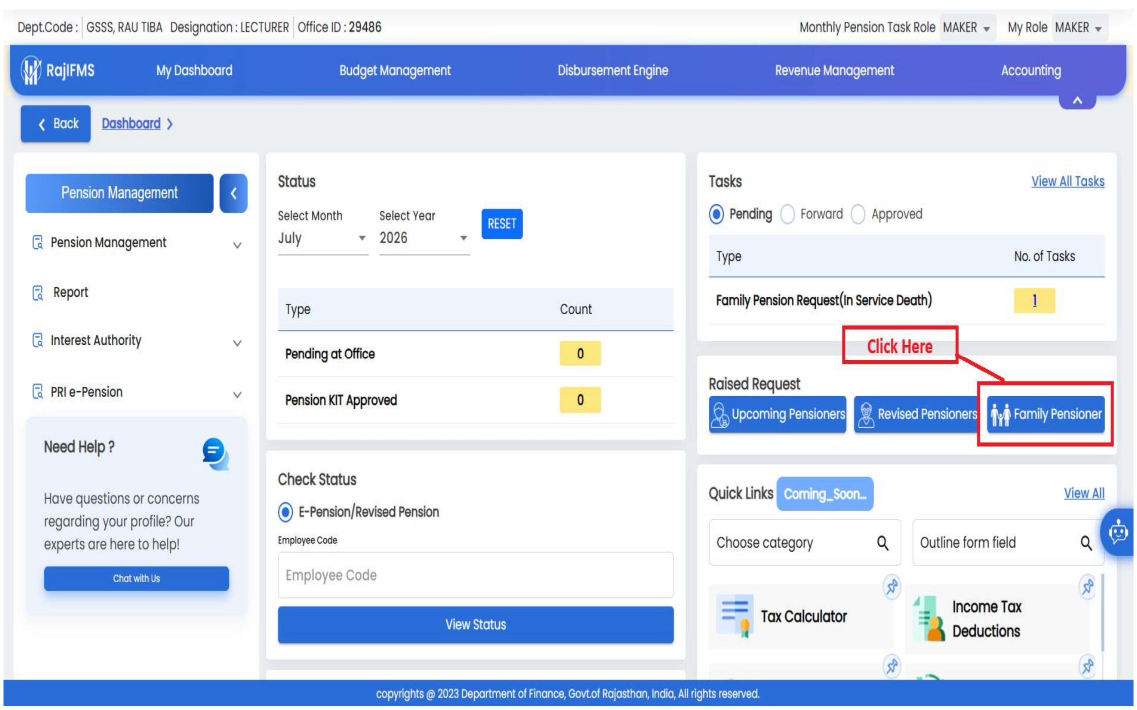
Dept.Code : GSSS, RAU TIBA Designation : LECTURER Office ID : 29486
Monthly Pension Task Role MAKER
My Role MAKER
RajIFMS
My Dashboard
Budget Management
Disbursement Engine
Revenue Management
Accounting
Back
Dashboard
Pension Management
Pension Management
Report
Interest Authority
PRI e-Pension
Need Help ?
Have questions or concerns regarding your profile? Our experts are here to help!
Chat with Us
Status
Select Month
July
Select Year
2026
RESET
Type
Count
Pending at Office
0
Pension KIT Approved
0
Check Status
E-Pension/Revised Pension
Employee Code
Employee Code
View Status
Tasks
View All Tasks
Pending
Forward
Approved
Type
No. of Tasks
Family Pension Request(In Service Death)
1
Click Here
Raised Request
Upcoming Pensioners
Revised Pensioners
Family Pensioner
Quick Links
Coming_Soon...
View All
Choose category
Outline form field
Tax Calculator
Income Tax Deductions
copyrights @ 2023 Department of Finance, Govt.of Rajasthan, India, All rights reserved.

कार्यालयाध्यक्ष के मेकर लेवल पर ESS से पेंशन प्रकरण भरने की प्रक्रिया

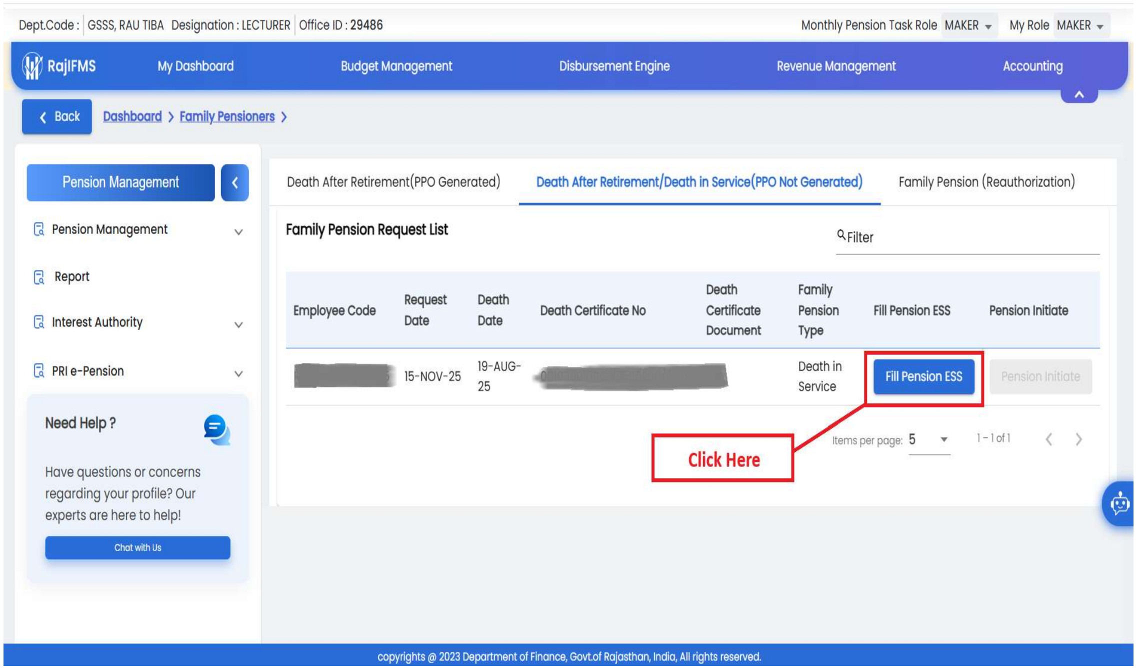

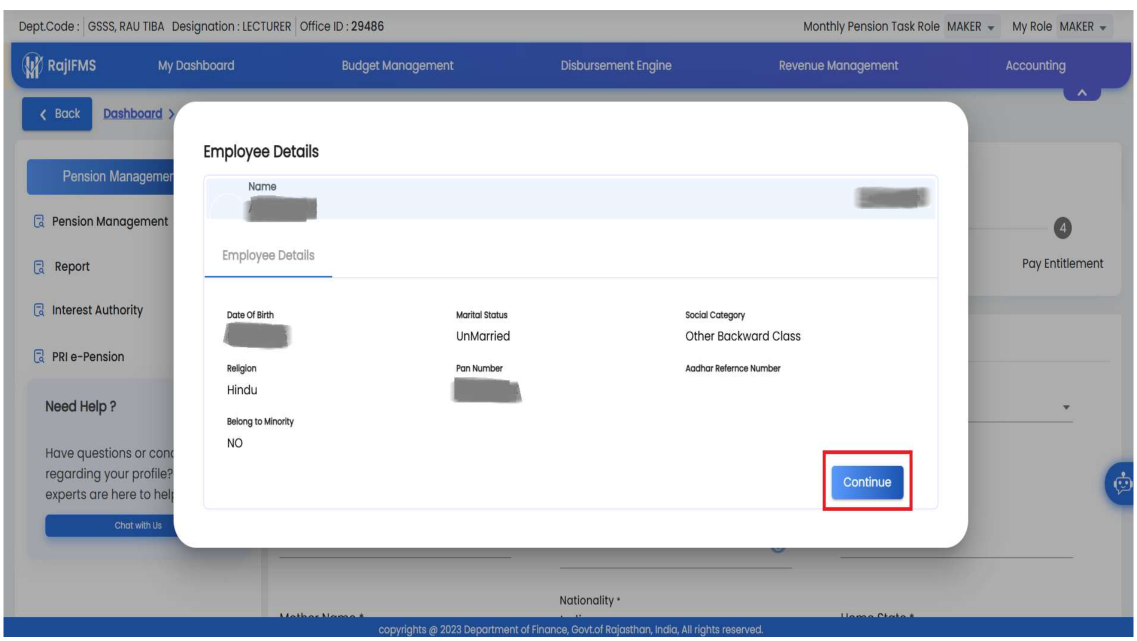

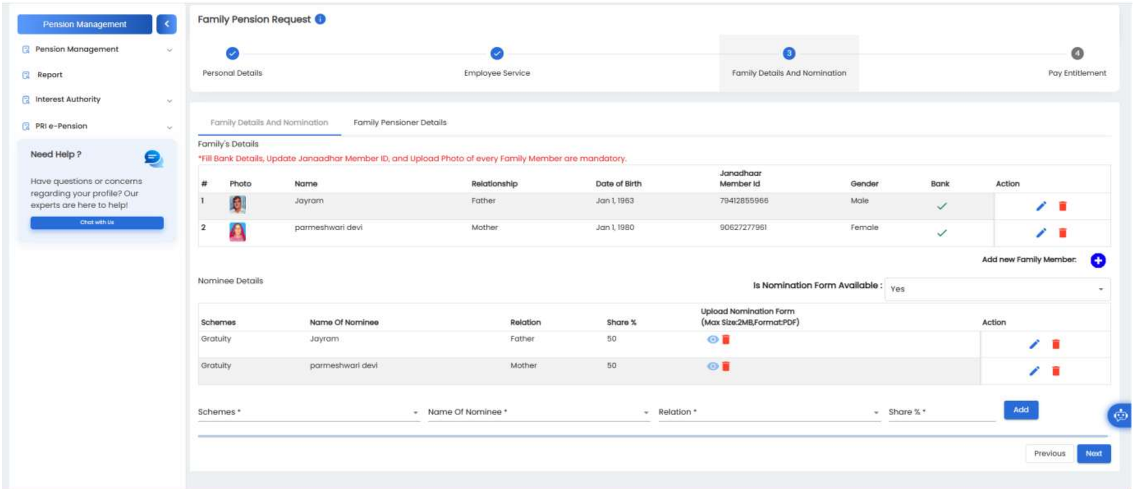
Pension Management
Report
Interest Authority
PRI e-Pension
Need Help ?
Have questions or concerns regarding your profile? Our experts are here to help!
Chat with Us
Family Pension Request
Personal Details
Employee Service
Family Details And Nomination
Pay Entitlement
Family Details And Nomination
Family Pensioner Details
Family's Details
*Fill Bank Details, Update Janaadhar Member ID, and Upload Photo of every Family Member are mandatory.
Photo Name Relationship Date of Birth Janadhaar Member Id Gender Bank Action
1 Jayram Father Jan 1, 1963 79412855966 Male
2 parmeshwari devi Mother Jan 1, 1980 90627277961 Female
Add new Family Member:
Nominee Details
Is Nomination Form Available : Yes
Schemes Name Of Nominee Relation Share % Upload Nomination Form (Max Size:2MB,Format:PDF) Action
Gratuity Jayram Father 50
Gratuity parmeshwari devi Mother 50
Schemes * Name Of Nominee * Relation * Share % * Add
Previous Next

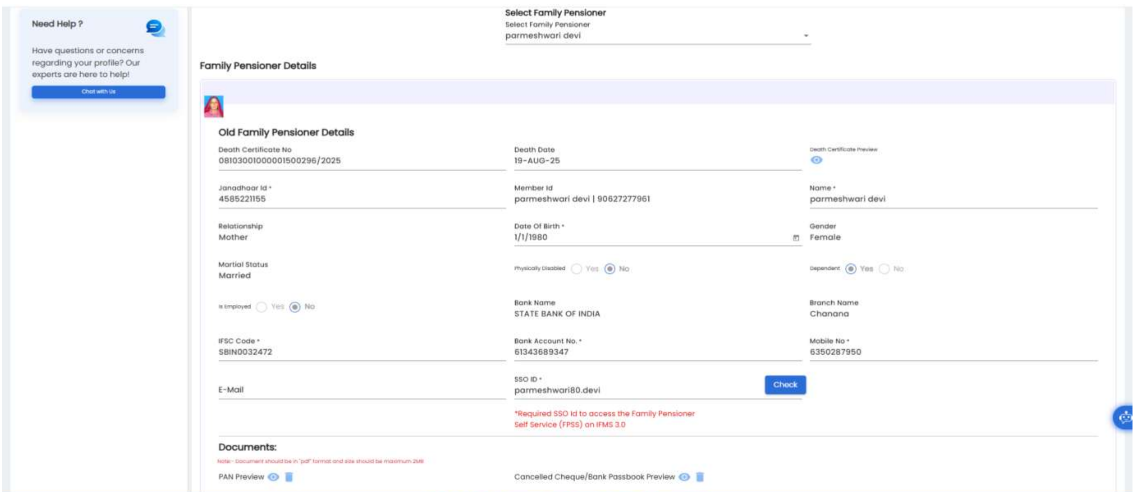
Need Help ?
Have questions or concerns regarding your profile? Our experts are here to help!
Chat with Us
Select Family Pensioner
Select Family Pensioner
parmeshwari devi
Family Pensioner Details
Old Family Pensioner Details
Death Certificate No
08103001000001500296/2025
Death Date
19-AUG-25
Death Certificate Preview
Janadhaar Id *
4585221155
Member Id
parmeshwari devi | 90627277961
Name *
parmeshwari devi
Relationship
Mother
Date Of Birth *
1/1/1980
Gender
Female
Marital Status
Married
Physically Disabled Yes No
Dependent Yes No
Is Employed Yes No
Bank Name
STATE BANK OF INDIA
Branch Name
Chanana
IFSC Code *
SBIN0032472
Bank Account No. *
61343689347
Mobile No *
6350287950
E-Mail
SSO ID *
parmeshwari80.devi
Check
*Required SSO Id to access the Family Pensioner Self Service (FPSS) on IFMS 3.0
Documents:
PAN Preview
Cancelled Cheque/Bank Passbook Preview

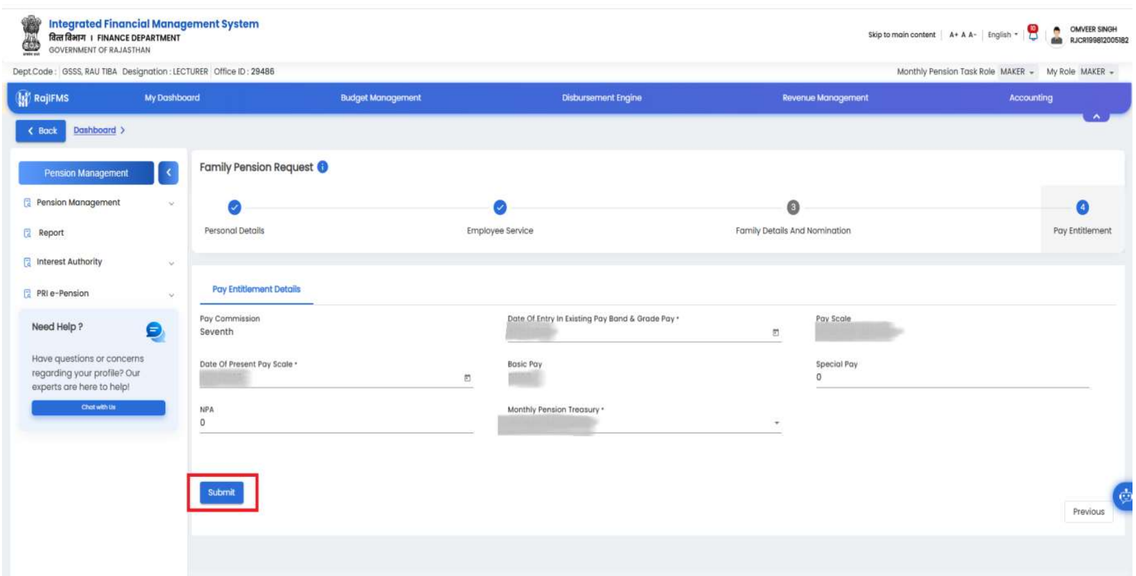
Integrated Financial Management System
वित्त विभाग I FINANCE DEPARTMENT
GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Skip to main content
English
OMVEER SINGH
RJCR199812005182
Dept.Code : GSSS, RAU TIBA Designation : LECTURER Office ID : 29486
Monthly Pension Task Role MAKER My Role MAKER
RajIFMS
My Dashboard
Budget Management
Disbursement Engine
Revenue Management
Accounting
Back
Dashboard
Pension Management
Report
Interest Authority
PRI e-Pension
Need Help ?
Have questions or concerns regarding your profile? Our experts are here to help!
Chat with Us
Family Pension Request
Personal Details
Employee Service
Family Details And Nomination
Pay Entitlement
Pay Entitlement Details
Pay Commission
Seventh
Date Of Entry In Existing Pay Band & Grade Pay *
Pay Scale
Date Of Present Pay Scale *
Basic Pay
Special Pay
0
NPA
0
Monthly Pension Treasury *
Submit
Previous

कार्यालयाध्यक्ष के स्तर पर मेकर द्वारा Pension Initiate करने की प्रक्रिया

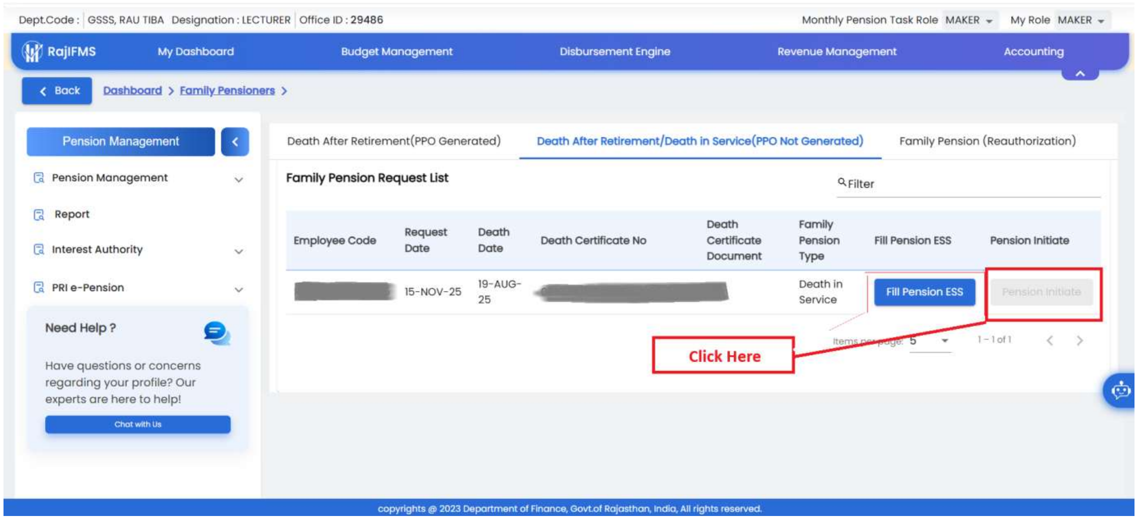

मेकर लेवल पर कर्मचारी के व्यक्तिगत विवरण की जांच

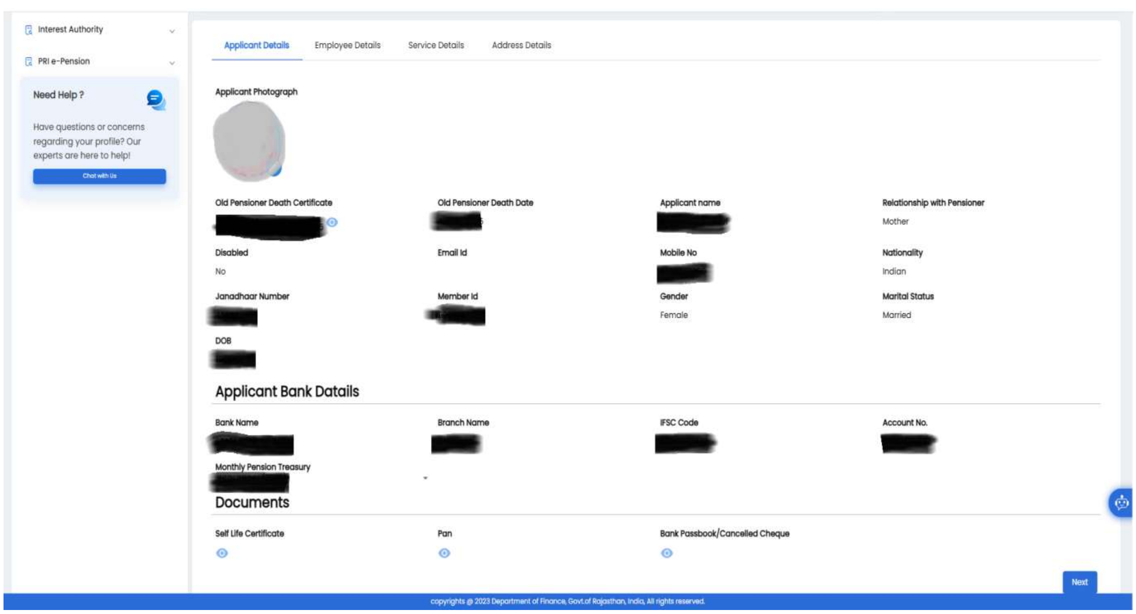

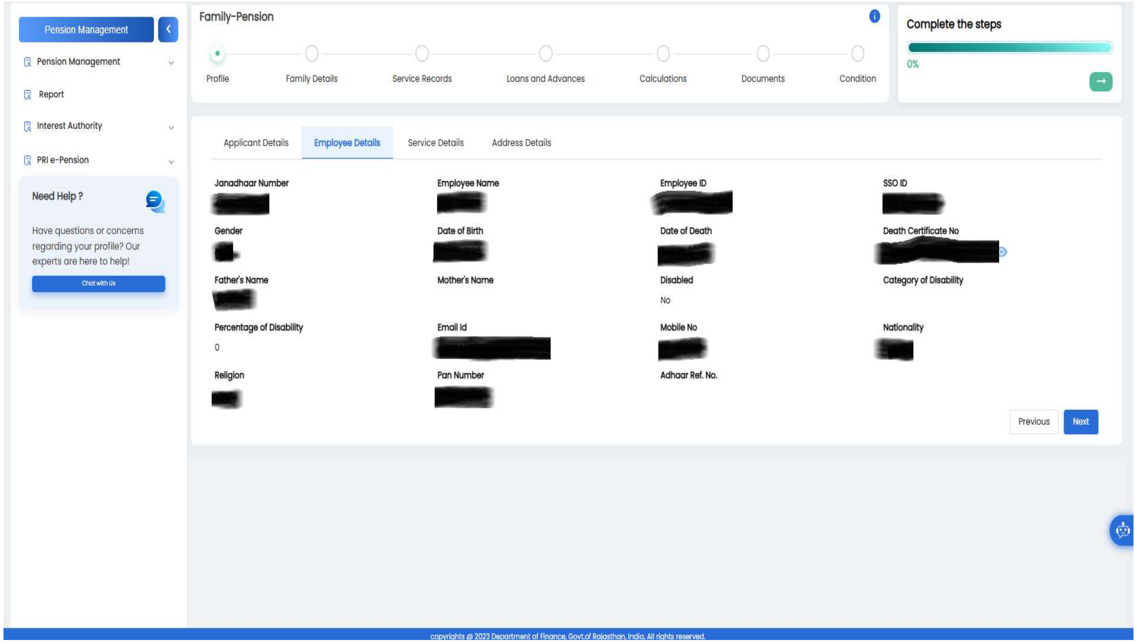
Pension Management
Pension Management
Report
Interest Authority
PRI e-Pension
Need Help ?
Have questions or concerns regarding your profile? Our experts are here to help!
Chat with Us
Family-Pension
Profile
Family Details
Service Records
Loans and Advances
Calculations
Documents
Condition
Complete the steps
0%
Applicant Details
Employee Details
Service Details
Address Details
Janadhaar Number
[redacted]
Employee Name
[redacted]
Employee ID
[redacted]
SSO ID
[redacted]
Gender
[redacted]
Date of Birth
[redacted]
Date of Death
[redacted]
Death Certificate No
[redacted]
Father's Name
[redacted]
Mother's Name
Disabled
No
Category of Disability
Percentage of Disability
0
Email Id
[redacted]
Mobile No
[redacted]
Nationality
[redacted]
Religion
[redacted]
Pan Number
[redacted]
Adhaar Ref. No.
Previous
Next
copyrights @ 2023 Department of Finance, Govt.of Rajasthan, India, All rights reserved.

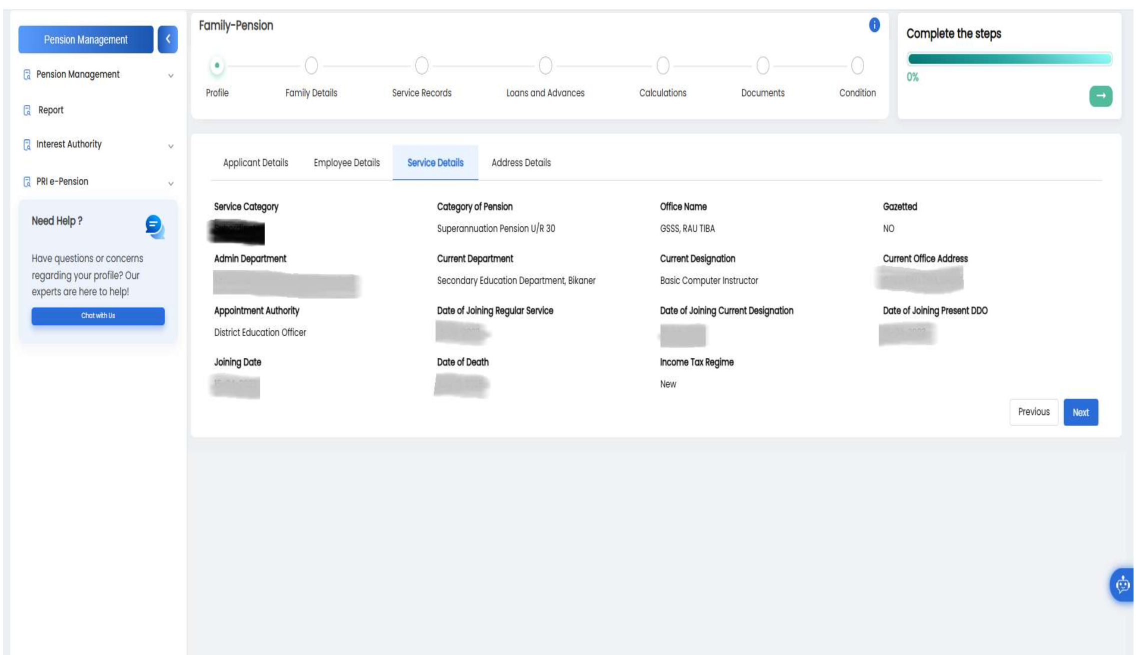
Pension Management
Pension Management
Report
Interest Authority
PRI e-Pension
Need Help ?
Have questions or concerns regarding your profile? Our experts are here to help!
Chat with Us
Family-Pension
Profile
Family Details
Service Records
Loans and Advances
Calculations
Documents
Condition
Complete the steps
0%
Applicant Details
Employee Details
Service Details
Address Details
Service Category
[redacted]
Category of Pension
Superannuation Pension U/R 30
Office Name
GSSS, RAU TIBA
Gazetted
NO
Admin Department
Current Department
Secondary Education Department, Bikaner
Current Designation
Basic Computer Instructor
Current Office Address
Appointment Authority
District Education Officer
Date of Joining Regular Service
Date of Joining Current Designation
Date of Joining Present DDO
Joining Date
Date of Death
Income Tax Regime
New
Previous
Next

मेकर लेवल पर कर्मचारी के पते संबंधी विवरण की जांच

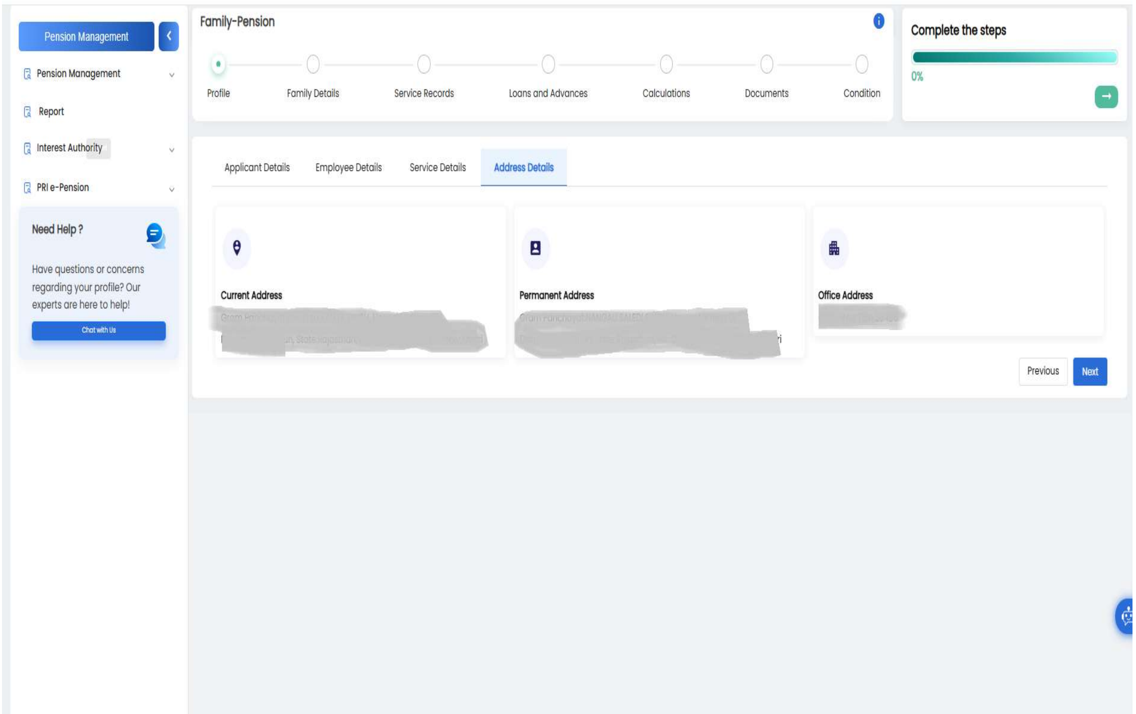

मेकर लेवल पर कर्मचारी के पारिवारिक विवरण संबंधी जांच

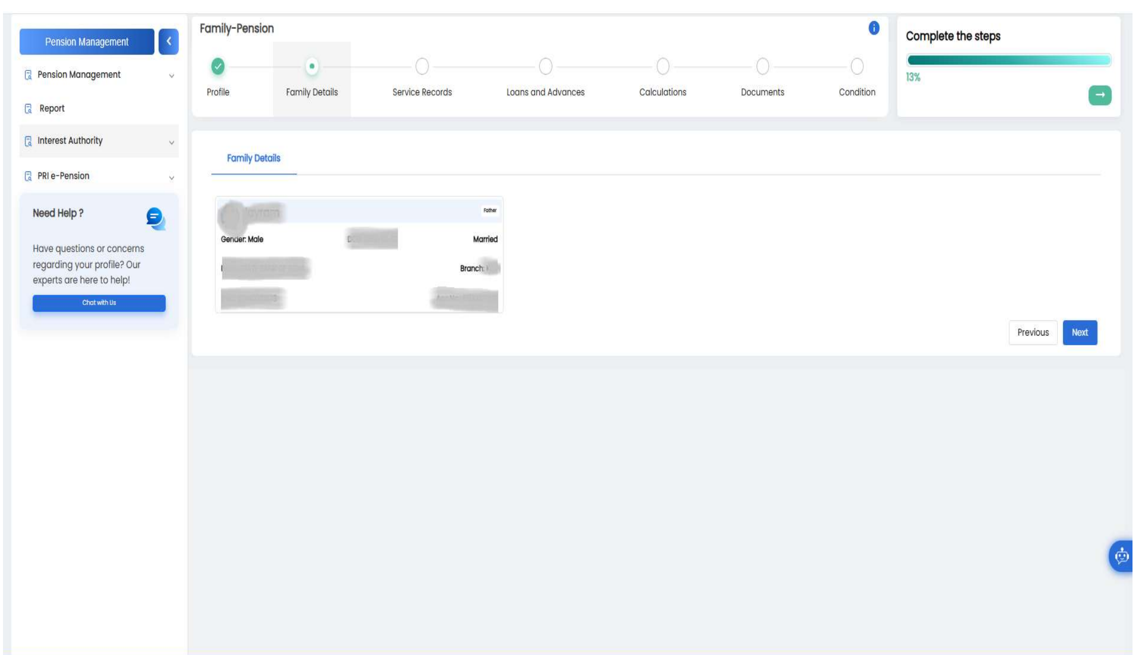

मेकर लेवल पर कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड संबंधी जांच

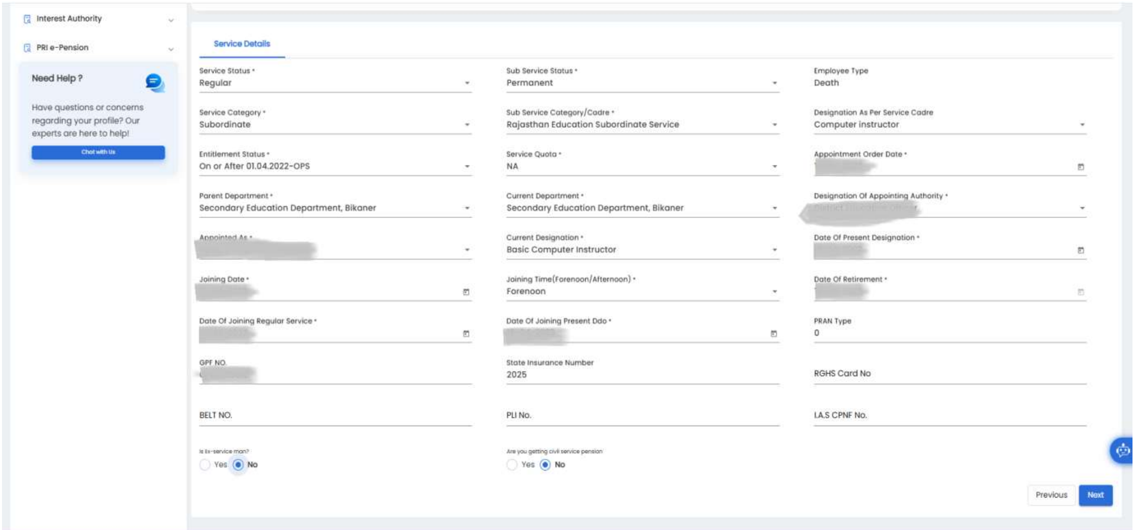

मेकर लेवल पर कर्मचारी के विभागीय जांच लंबित/लंबित नहीं होने सबंधी रिकॉर्ड की सूचना

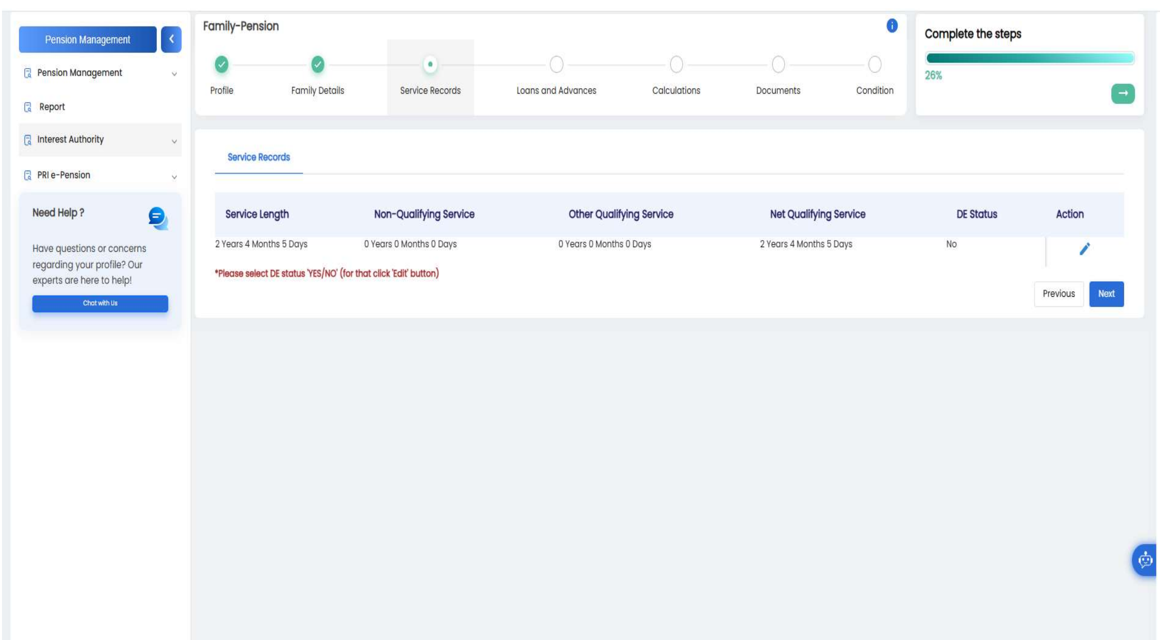

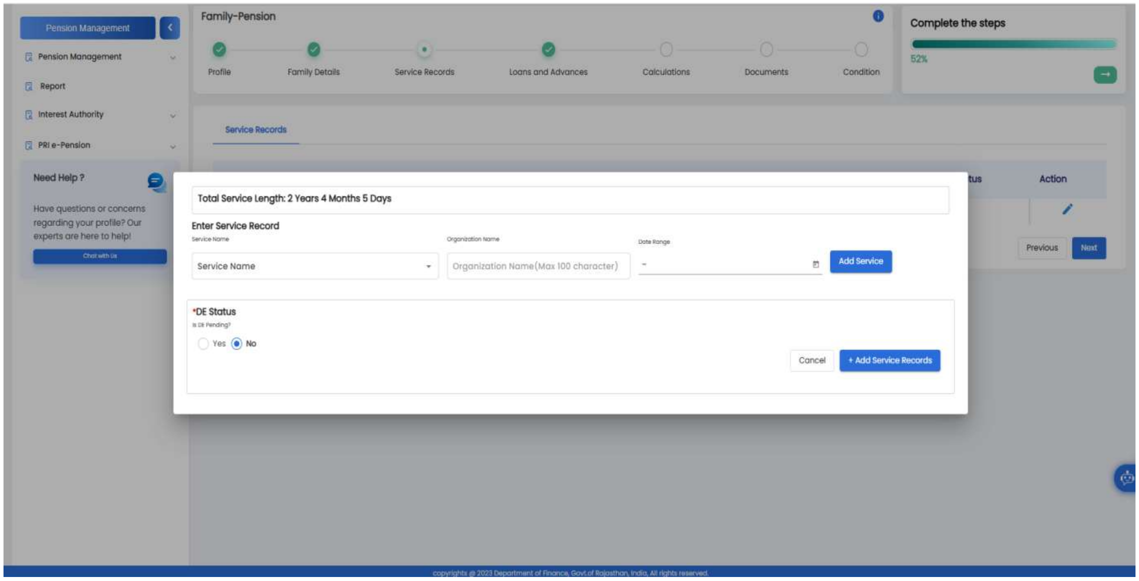

मेकर लेवल पर कर्मचारी के ऋण एवं अग्रिम रिकॉर्ड की जांच

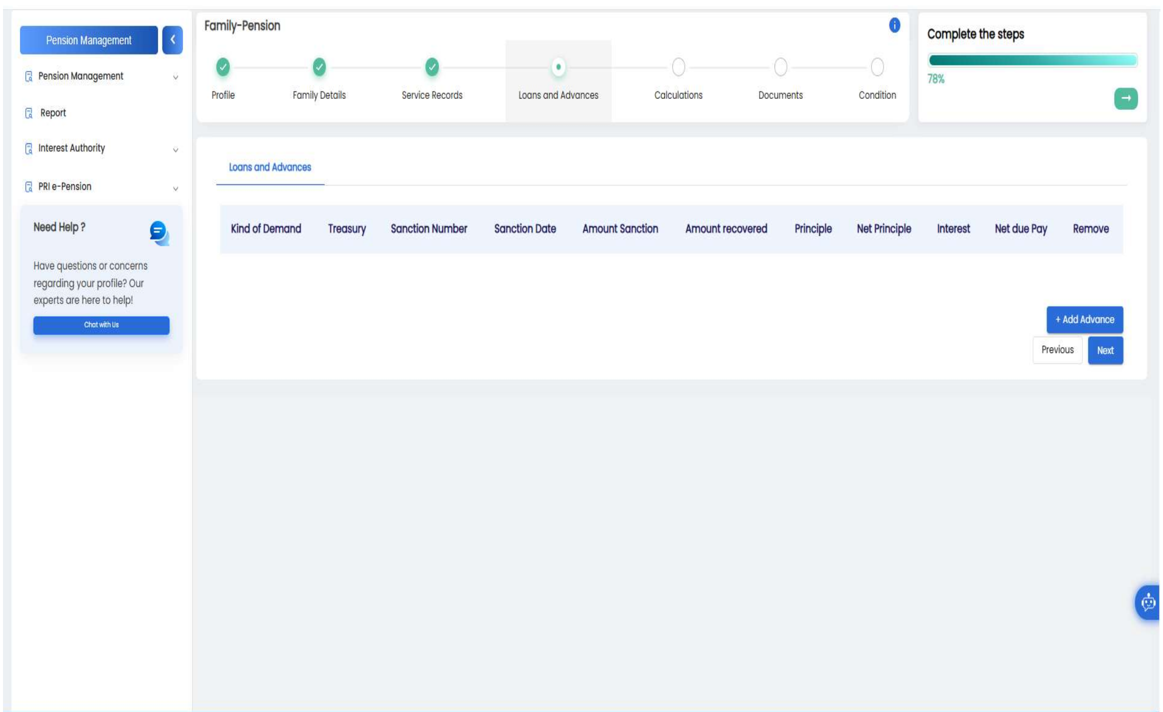

मेकर लेवल पर कर्मचारी के गणना संबंधी रिकॉर्ड की जांच

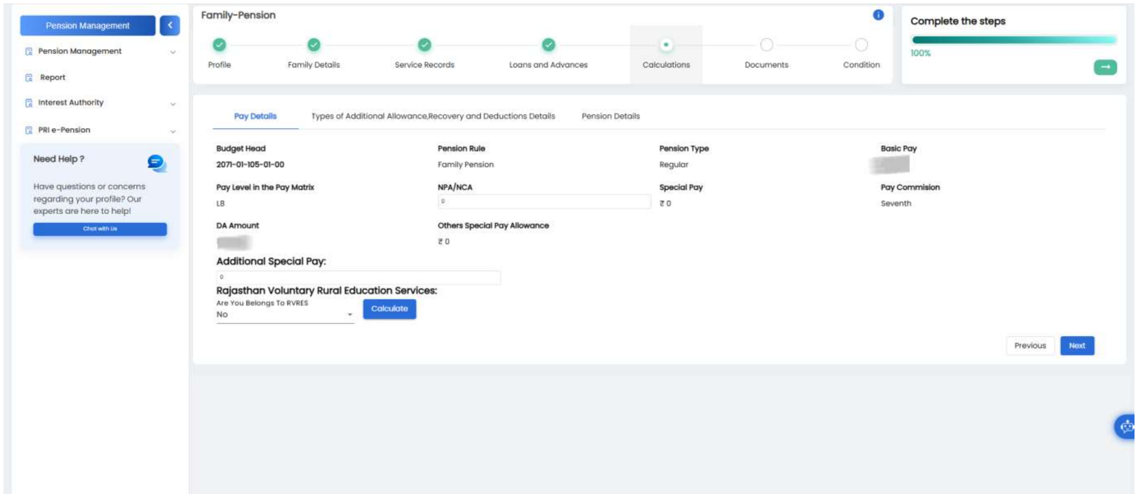

मेकर लेवल पर कर्मचारी के दस्तावेज संबंधी रिकॉर्ड की जांच

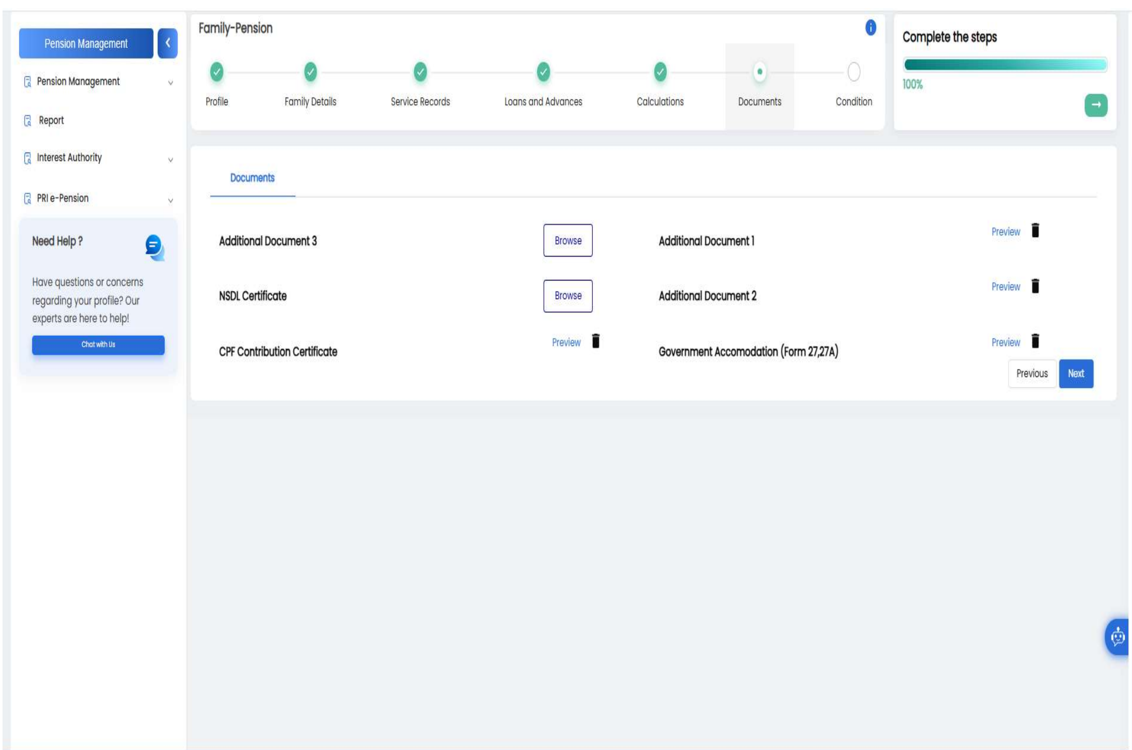

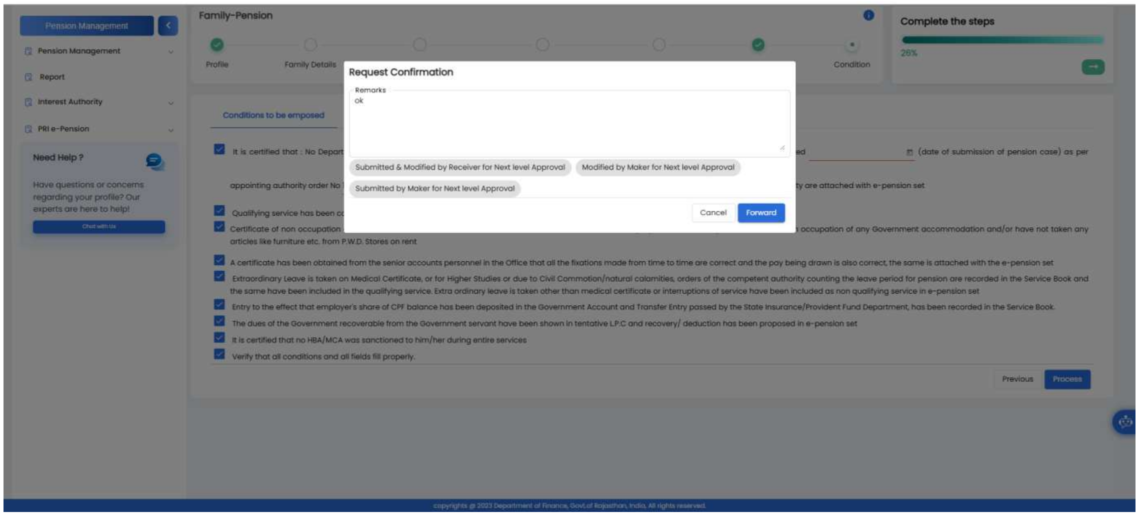
Pension Management
Pension Management
Report
Interest Authority
PRI e-Pension
Need Help ?
Have questions or concerns regarding your profile? Our experts are here to help!
Family-Pension
Profile
Family Details
Condition
Complete the steps
Request Confirmation
Remarks
ok
Submitted & Modified by Receiver for Next level Approval
Modified by Maker for Next level Approval
Submitted by Maker for Next level Approval
Cancel
Forward
Conditions to be emposed
A certificate has been obtained from the senior accounts personnel in the Office that all the fixations made from time to time are correct and the pay being drawn is also correct, the same is attached with the e-pension set
Entry to the effect that employer's share of CPF balance has been deposited in the Government Account and Transfer Entry passed by the State Insurance/Provident Fund Department, has been recorded in the Service Book.
The dues of the Government recoverable from the Government servant have been shown in tentative L.P.C and recovery/ deduction has been proposed in e-pension set
It is certified that no HBA/MCA was sanctioned to him/her during entire services
Verify that all conditions and all fields fill properly.
Previous
Process

4.1 पेंशनर्स की संख्या एवं वर्गीकरण

क्र.सं.	वर्गीकरण	पेंशनर्स की संख्या
1.	राज्य पेंशनर्स	**384666**
2.	राज्य पारिवारिक पेंशनर्स	**214767**
3.	अन्य पेंशनर्स	
I	नगरपालिका के (सिविल, पारिवारिक एवं एनपीएस) पेंशनर्स	24777
Ii	राजस्व मण्डल/राजस्थान कर बोर्ड (अध्यक्ष/सदस्य) के पेंशनर्स	32
Iii	पंचायती राज (सिविल एवं पारिवारिक) पेशंनर्स	18624
Iv	दिनांक 04.09.2012 की अधिसूचना के अनुसार (विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित पुत्री) पारिवारिक पेंशनर्स	5180
V	मीसा/डीआईआर पेंशनर्स	1628
Vi	अखिल भारतीय सेवा के पेंशनर्स	794
Vii	न्यायिक सेवा के पेंशनर्स	470
Viii	खादी (सिविल एवं पारिवारिक) पेंशनर्स	401
Ix	राजस्थान लोक सेवा आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्य) के पेंशनर्स	21
X	गैलेन्ट्री सिविल पेंशनर्स	1
xi	स्वतंत्रता सेनानी/टोंक जागीर पेंशनर्स	0

4.2 आयु वर्ग के अनुसार पेंशनर्स का वर्गीकरण :–

क्र.सं.	आयु वर्ग	पेंशनर्स की संख्या
1	60 – 69 वर्ष	383367
3	70 –75 वर्ष	108714
4	76 –80 वर्ष	55347
5	81 –85 वर्ष	33170
6	86 –90 वर्ष	14372
7	91 –95 वर्ष	3669
8	96 –100 वर्ष	681
9	100 से अधिक आयु	113

4.3 <u>पेंशन भुगतान आदेश</u>

I. दिनांक 01.12.2025 से दिनांक 31.05.2026 (गत 6 माह) तक पेंशन विभाग में कुल **12018** पेंशन प्रकरण प्राप्त हुए हैं एवं कुल **11299** पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी किये गये। जिनका संभागवार विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं.	संभाग का नाम	प्राप्त प्रकरण	जारी पीपीओ
1.	जयपुर	3313	2981
2.	अजमेर	1644	1570
3.	बीकानेर	1298	1266
4.	जोधपुर	1960	1920
5.	भरतपुर	1122	1055
6.	कोटा	1084	1001
7.	उदयपुर	1597	1506
	कुल	**12018**	**11299**

II. दिनांक 01.12.2025 से दिनांक 31.05.2026 (गत 6 माह) तक पेंशन विभाग में कुल **2456** पारिवारिक पेंशन प्रकरण प्राप्त हुए है एवं कुल **1911** पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (FPPO) जारी किये गये। जिनका संभागवार विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं.	संभाग का नाम	प्राप्त प्रकरण	जारी पीपीओ
1.	जयपुर	648	511
2.	अजमेर	405	300
3.	बीकानेर	265	229
4.	जोधपुर	306	266
5.	भरतपुर	227	158
6.	कोटा	230	161
7.	उदयपुर	375	286
	कुल	**2456**	**1911**

III. दिनांक 01.12.2025 से दिनांक 31.05.2026 (गत 6 माह) तक प्रमुख विभाग जिनके द्वारा पेंशन प्रकरण विभागीय स्तर से पेंशन विभाग को प्रेषित नहीं किए गए है, उनका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	विभाग का नाम	सेवानिवृत्त कार्मिकों की संख्या	पेंशन विभाग द्वारा जारी अधिकृतियों की संख्या	अग्रेषित नहीं किये गये पेंशन प्रकरणों की कुल संख्या
1.	माध्यमिक शिक्षा विभाग	4411	4210	211
2.	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	474	398	51
3.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	709	543	134

4.	पुलिस विभाग	562	504	68
5.	जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग	728	649	60
6.	आयुर्वेद विभाग	169	103	52
7.	पशुपालन विभाग	152	115	30
8.	राजस्व विभाग	223	164	45
9.	वन एवं पर्यावरण विभाग	278	221	35
10.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	212	176	23
	कुल	**7918**	**1083**	**709**

IV. दिनांक 01.06.2026 से दिनांक 30.06.2026 तक पेंशन विभाग में कुल **1467** पेंशन प्रकरण प्राप्त हुए एवं कुल **1061** पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी किये गये। जिनका संभागवार विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	संभाग का नाम	प्राप्त प्रकरण	जारी पीपीओ
1.	जयपुर	419	265
2.	अजमेर	204	170
3.	बीकानेर	152	111
4.	जोधपुर	238	191
5.	भरतपुर	112	75
6.	कोटा	136	78
7.	उदयपुर	206	171
	कुल	**1467**	**1061**

V. दिनांक 01.06.2026 से दिनांक 30.06.2026 तक पेंशन विभाग में कुल **342** पारिवारिक पेंशन प्रकरण प्राप्त हुए एवं कुल **231** पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (FPPO) जारी किये गये। जिनका संभागवार विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	संभाग का नाम	प्राप्त प्रकरण	जारी पीपीओ
1.	जयपुर	59	36
2.	अजमेर	59	42
3.	बीकानेर	21	18
4.	जोधपुर	63	50
5.	भरतपुर	35	17
6.	कोटा	50	29
7.	उदयपुर	55	39
	कुल	**342**	**231**

VI. दिनांक 01.05.2026 से दिनांक 31.05.2026 तक ऐसे पेंशन प्रकरण जो विभाग स्तर से अग्रेषित नहीं किये गये हैं, जिनका संभागवार विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	विभाग का नाम	सेवानिवृत्त कार्मिकों की संख्या	पेंशन विभाग द्वारा जारी अधिकृतियों की संख्या	अग्रेषित नहीं किये गये पेंशन प्रकरणों की संख्या
1.	माध्यमिक शिक्षा विभाग	1679	1203	260
2.	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	157	72	43
3.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	191	72	96
4.	पुलिस विभाग	169	78	54
5.	जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग	231	99	70
6.	आयुर्वेद विभाग	81	20	56
7.	पशुपालन विभाग	50	13	24
8.	राजस्व विभाग	77	35	29
9.	वन एवं पर्यावरण विभाग	74	25	31
10.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	67	19	31
	कुल	**2776**	**1636**	**694**

4.4 जुलाई, 2026 से सितम्बर, 2026 तक सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की विभागवार संख्या

Department-wise Upcoming Retirement 3 Months (July-26 to Sep-26)					
S.No.	**Department Name**	**July-2026**	**Aug-2026**	**Sep-2026**	**Grand Total**
1.	Secondary Education Department, Bikaner	2061	1174	796	4031
2.	Public Health Engineering Department, Jaipur	263	164	101	528
3.	Medical and Health Services, Jaipur	210	153	71	434
4.	Police Department, Jaipur	239	137	69	445
5.	Elementry Education Department, Bikaner	97	64	38	199
6.	Ayurved Department, Ajmer	95	53	42	190
7.	Board of Revenue, Ajmer	74	52	39	165
8.	Forest Department, Jaipur	78	48	32	158
9.	Public Works Department, Jaipur	58	42	34	134
10.	Animal Husbandry Department, Jaipur	74	33	28	135
11.	Rajasthan High Court, Jodhpur	41	25	25	91
12.	College Education Department, Jaipur	44	23	24	91
13.	Sanskrit Education Department, Jaipur	42	27	21	90
14.	Agriculture Department, Jaipur	33	15	15	63
15.	Excise Department, Udaipur	35	13	17	65
16.	Integrated Child Development Services, Jaipur	25	16	07	48
17.	Water Resources Department, Jaipur	23	12	03	38
18.	S.M.S. Medical College and Associated Group of Hospitals, Jaipur	22	20	20	62
19.	Medical and Health Services (Family Welfare), Jaipur	13	10	02	25
20.	Treasuries and Accounts Department, Jaipur	18	09	08	35
21.	Commercial Taxes Department, Jaipur	07	14	03	24
22.	Dr. S.N. Medical College and Associated Group of Hospitals, Jodhpur	19	07	06	32
23.	Technical (Training) Education, Jodhpur	12	14	07	33
24.	Indira Gandhi Nahar Project, Bikaner	18	09	06	33
25.	Technical Education Department, Jodhpur	08	12	13	33
26.	Mines and Geology Department, Udaipur	17	05	03	25
27.	Medical and Health Services (ESI), Jaipur	08	05	02	15
28.	Department of Personnel (Government Secretariat, including State	10	11	10	31
29.	Jail Department, Jaipur	09	06	03	18
30.	State Insurance and Provident Fund Department, Jaipur	11	02	04	17

5. परिवेदना निवारण

विभाग में पेंशनर्स की समस्याओं/परिवेदनाओं के समाधान हेतु पेंशनर्स समस्या निवारण केन्द्र (PGRC) की स्थापना की गई है। पेंशनर्स सीधे ही PGRC को अपनी पेंशन संबंधी समस्याएं/शिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा संचालित ऑनलाईन प्रक्रिया राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का भी निस्तारण किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यालयों यथा राज्यपाल सचिवालय, मुख्य मंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय एवं वित्त विभाग आदि के माध्यम से प्राप्त पेंशनर्स की समस्याओं एवं परिवेदनाओं के निराकरण की कार्यवाही भी की जाती है। दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 31.05.2026 तक प्राप्त परिवेदनाएं एवं उनके निवारण का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	प्राप्त परिवेदना का माध्यम	प्राप्त परिवेदनाएं	निस्तारित परिवेदनाएं	बकाया परिवेदना
1.	पीजीआरसी (01.10.2025 से 31.05.2026)	5595	5490	5
2.	सम्पर्क पोर्टल	2752	2752	00
3.	सीएमओ/सीएस कार्यालय/वित्त विभाग आदि	174	172	02

दिनांक 01.06.2026 से दिनांक 30.06.2026 तक प्राप्त परिवेदनाएं एवं उनके निवारण का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	प्राप्त परिवेदना का माध्यम	प्रारम्भिक परिवेदना शेष	माह के दौरान प्राप्त	माह के दौरान निस्तारित	अन्तिम बकाया परिवेदना
1.	सम्पर्क पोर्टल	06	225	231	00
2.	पीजीआरसी	05	222	213	14
3.	सीएमओ/सीएस कार्यालय/वित्त विभाग आदि	02	22	24	00

6. वृतांत

I. श्री मांगीलाल साल्वी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधालय नियंत्रण विभाग, जयपुर की सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2026 को थी। कार्मिक के विभाग द्वारा पेंशन विभाग को पेंशन प्रकरण 05.06.2026 को प्रेषित किया गया। पेंशन विभाग द्वारा दिनांक 05.06.2026 को पीपीओ जारी कर दिया गया। पेंशन विभाग के कार्मिकों द्वारा श्री मांगीलाल साल्वी के पेंशन प्रकरण को त्वरित गति से परीक्षण कर पीपीओ जारी करवाकर उसकी फोटो प्रति उपलब्ध करवा दी गई। श्री मांगीलाल साल्वी ने पेंशन विभाग द्वारा त्वरित गति से पीपीओ जारी करवाने की कार्रवाई हेतु पेंशन विभाग का आभार प्रकट किया।

II. श्रीमती मलका मेहरा पत्नी स्व. श्री रतन सिंह मेहरा पारिवारिक पेंशन पीपीओ संख्या 21 (आर) एसएफ की सेवानिवृत्ति दिनांक 30.09.1987 थी। पारिवारिक पेंशनर द्वारा दिनांक 04.06.2026 को जन्मतिथि निर्धारण करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्रीमती मलका मेहरा के प्रकरण में त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए दिनांक 04.06.2026 को जन्मतिथि निर्धारण कर दी गयी। श्रीमती मलका मेहरा, पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि आवेदन करने की दिनांक को निर्धारित करने के लिए उन्होंने विभाग का अभार प्रकट किया।

III. पेंशनर श्री मुरारी लाल मीना की सेवानिवृत्ति दिनांक 30.09.2019 को थी। श्री मीना का पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग में प्राप्त होने के पश्चात प्रोविजनल पीपीओ दिनांक 20.01.2020 को जारी हुआ। तत्पश्चात् दिनांक 21.07.2024 को पेंशनर श्री मुरारी लाल मीना की मृत्यु एवं दिनांक 13.10.2024 को उनकी धर्मपत्नी की भी मृत्यु हो गई। पेंशनर श्री मुरारी लाल मीना की एक मात्र सन्तान उनका पुत्र था, जिसकी भी मृत्यु दिनांक 05.11.2025 को हो गई। स्व. श्री मुरारी लाल मीना की शेष ग्रेच्यूटी राशि रू. 520270 के भुगतान हेतु पेंशनर के विभाग द्वारा प्रोविजनल पेंशन से फाइनल पेंशन का प्रकरण स्वीकृत करने में विलम्ब करने के कारण पेंशनर की पुत्रवधू श्रीमती अंगूरी मीना ने पेंशन कार्यालय में सम्पर्क किया।

पेंशन विभाग द्वारा दूरभाष पर सम्बन्धित पेंशनर के विभाग से वार्ता कर प्रकरण सम्बन्धित विभाग से पेंशन विभाग में मंगवाया जाकर दिनांक 29.06.2026 को पेंशनर स्व. श्री मुरारी लाल मीना की पौत्री सुश्री सोनाक्षी को ग्रेच्यूटी राशि रू 520270/— की

अधिकृति जारी कर दी गई। जिसके लिए श्रीमती अंगूरी मीना पुत्रवधू स्व. श्री मुरारी लाल मीना ने पेंशन विभाग का आभार प्रकट किया।

IV. पेंशन स्व. श्री रामकिशन बिश्नोई, पम्प ऑपरेटर ग्रेड–II की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2024 को हुई। स्व. श्री रामकिशन बिश्नोई की सेवानिवृत्ति पश्चात दिनांक 26.01.2026 को मृत्यु हो गई। परन्तु पारिवारिक पेंशन प्रकरण पर तकनीकी ज्ञान के अभाव में पेंशन विभाग को अग्रेषित नहीं किया जा सका। मृतक पेंशनर स्व. श्री बिश्नोई के पुत्र द्वारा पेंशन विभाग से सम्पर्क किया गया। पेंशन विभाग की तकनीकी टीम द्वारा दिनांक 29.06.2026 को स्व. श्री बिश्नोई के पारिवारिक पेंशन प्रकरण को उनकी धर्म पत्नी की एसएसओ आई डी पर सीटिजन सेल्फ सर्विस से भरकर पेंशन विभाग में अग्रेषित करवाने में सहयोग प्रदान किया गया एवं प्रकरण को पेंशन विभाग को अग्रेषित करवाया गया। पेंशन विभाग में प्रकरण प्राप्त कर त्वरित गति से निस्तारण की कार्रवाई करवाते हुए पारिवारिक पेंशन अधिकृतियां दिनांक 30.06.2026 को जारी कर उनके पुत्र को उपलब्ध करवाई गई, जिसके लिए स्व. श्री रामकिशन बिश्नोई के पुत्र ने पेंशन विभाग का आभार प्रकट किया।

7. नवीन संशोधन/नियम/आदेश/निर्वचन

1. राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 67, 134 एवं फॉर्म 14 में संशोधन दिनांक 12.06.2026

Government of Rajasthan
Finance Department
(Rules Division)

No. F.12(2)FD/Rules/2026 Jaipur, dated: 12 JUN, 2026

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996, namely:-

1. Short title and commencement :- (1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Pension) (Amendment) Rules, 2026.
(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 67 :- The existing condition (ii) and (iii) of proviso to rule 67 of the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996, hereinafter referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"(ii) before allowing the family pension for life to any such son or daughter, the appointing authority shall satisfy that the disability is of such a nature so as to prevent him or her from earning his or her livelihood and the same shall be evidenced by a certificate obtained from -

(A) an authority competent to issue disability certificate in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Central Act No. 49 of 2016), the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 and theguidelines and notifications issued by the Central Government or State Government or Union Territory administration; or

(B) a Medical Board comprising of a Medical Superintendent or a Principal or a Director or Head of the Institution or his nominee as Chairman and two other members, out of which at least one shall be a Specialist in the particular area of disability, setting out, as far as possible, the exact mental or physical condition of the child,

(iii) the person receiving the family pension as guardian of such son or daughter or such son or daughter not receiving the family pension through a guardian shall produce a certificate from,-

(A) an authority competent to issue disability certificate in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Central Act No. 49 of 2016), the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 and the guidelines and notifications issued by the Central Government or State Government or Union Territory administration; or

(B) a Medical Board comprising of a Medical Superintendent or a Principal or a Director or Head of the Institution or his nominee as Chairman and two other members, out of which at least one shall be a Specialist in the particular area of disability including mental retardation, once, if the disability is permanent and if the disability is temporary, once in every three years, to the effect that he or she continues to suffer from a disability."

3. Amendment of rule 134 :- In sub-rule (1) of rule 134 of the said rules,-

(i) in clause (ix), for the existing expression "; or", appearing at the end, the punctuation mark "; " shall be substituted;

(ii) in clause (x), for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the expression "; " shall be substituted; and

(iii) after the existing clause (x), so amended, the following new clause (xi) and (xii) shall be added, namely:-

"(xi) all serving government servants except class IVth employees of State Government may issue life certificate to the pensioner/family pensioner by e-signing/ authenticating through their SSO ID ; or

(xii) pensioner may submit life certificate using the face authentication technology system based on UIDAI Aadhar software."

4. Amendment of Form 14 :- In Form 14 appended to the said rules,-

(i) the existing clause 12 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"12. Attested by:

Name Full address Signature

....";

and

(ii) the existing Note shall be substituted by the following, namely:-

"Note: Attestation should be done by only one Gazetted Officer or one person of respectability in the town or village in which the applicant resides."

By order of the Governor,

(Shivangi Swarnkar)
Special Secretary to the Government

2. **Submission of digital life Certificate of pensioners through face authentication**

GOVERNMENTOF RAJASTHAN
FINANCE (PENSION) DEPARTMENT

F.2(2)FD/Pension/2020 **JAIPUR, Dated : 15-06-2026**

NOTIFICATION

Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to recerve subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency;

And whereas Ministry of Electronics and Information Technology. Government of India. after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), had allowed vide its letter number 13(9)/2022-EG-II dated 28-07-2023 to the Pension and Pensioners' Welfare Department, hereinafter referred to as the said department, Govermment of Rajasthan, hereinafter referred to as the said Government, for the purposes specified under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, hereinafter referred to as the said rules, that the said Department may be allowed to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, hereinafter referred to as the Act,

And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for submission of Digital Life Certificate through Face Authentication, hereinafter referred to as the said purpose, as specified under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the said department shall perform the Aadhaar authentication only for submission of Digital Life Certificate, hereinafter referred to as the use case;

Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section(4) of section 4 of the said Act, the State Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) The said department, as provided in the Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.

   (2) As per provisions of sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication is on voluntary basis, the department shall inform to the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to undergo Aadhaar authentication, namely: -

   (a) Submission of Life Certificate through SSO ID, of officer of the State Service or employee of subordinate or ministerial service;
   (b) The pensioner can submit his/her life certificate by personally appearing at the Treasury/Pension Department;
   (c) Submission of Life Certificate through Jeevan Pramaan by e-Mitra.

2. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order of the Governor,

(Shivangi Swarnkar)
Special Secretary to tho Government

8. <u>पेंशन अदालत (दिनांक 27.072026)</u>

राजस्थान सरकार
वित्त (पेंशन) विभाग

क्रमांक :– प.10(3)वित्त/पेंशन/2025 जयपुर, दिनांक :– 29.05.2026

निदेशक,
स्थानीय निकाय विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर।

महानिदेशक, पुलिस
राजस्थान, जयपुर।

मुख्य अभियंता (प्रशासन),
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी, विभाग
जल भवन, राजस्थान, जयपुर।

विषय :– स्थानीय निकाय विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, पुलिस, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की पेंशन अदालत का आयोजन करवाने बाबत।

संदर्भ :– वित्त (पेंशन) विभाग का परिपत्र क्रमांक प.10(3)वित्त/पेंशन/2025 दिनांक 18.02.2026।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित परिपत्र के क्रम में पेंशनर्स के पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करने एवं सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान सम्बन्धी समस्याओं एवं शिकायतों का समाधान किए जाने के लिए वित्त विभाग द्वारा प्रतिवर्ष माह अप्रेल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी में पेंशन अदालत आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। स्थानीय निकाय विभाग के प्रतिवर्ष लगभग 1000 कार्मिक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाएं के प्रतिवर्ष लगभग 1800 कार्मिक, पुलिस विभाग के प्रतिवर्ष लगभग 1400 कार्मिक एवं जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के प्रतिवर्ष लगभग 1700 कार्मिक सेवानिवृत्त होकर पेंशन प्राप्त करते हैं। वर्तमान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सेवानिवृत्त कार्मिकों के 378, पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त कार्मिकों के 187 एवं जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के सेवानिवृत्त कार्मिकों के 151 पेंशन प्रकरण Initiate नहीं किए गए हैं एवं स्थानीय निकाय विभाग के 91 पेंशन प्रकरण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 81 पेंशन प्रकरण, पुलिस विभाग के 32 पेंशन प्रकरण एवं जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के 50 पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को अपूर्ण प्रस्तुत करने के कारण आक्षेप में बकाया हैं। उक्त के अतिरिक्त सेवारत कार्मिकों की मृत्यु के बकाया पारिवारिक पेंशन के प्रकरण स्वीकृति के अभाव में बकाया हैं।

संदर्भित परिपत्र दिनांक 18.02.2026 की प्रति संलग्न कर लेख है कि स्थानीय निकाय विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, पुलिस, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के बकाया पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रकरणों के निस्तारण एवं पेंशनर्स की समस्याओं व शिकायतों के निराकरण हेतु विभागाध्यक्ष के स्तर पर दिनांक 27.07.2026 (सोमवार) को पेंशन अदालत का आयोजन किया जावे।

पेंशन अदालत का गठन निम्नांनुसार किया गया है :—

निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, महानिदेशक, पुलिस, मुख्य अभियन्ता, जन.स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	—	संयोजक
संयुक्त शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, गृह विभाग, जन.स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	—	सदस्य
निदेशक/अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग	—	सदस्य
अध्यक्ष, पेंशनर समाज/पेंशनर मंच, राजस्थान	—	सदस्य

स्थानीय निकाय विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, जन. स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के आक्षेप के कारण बकाया पेंशन प्रकरणों एवं आक्षेपों की प्रकृति का विवरण निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा आपको पृथक् से प्रेषित किया जा रहा है। पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स से निर्धारित प्रपत्र (प्रति संलग्न) में परिवेदनाएं पेंशन अदालत की निर्धारित दिनांक से एक माह पूर्व तक प्राप्त करना एवं पेंशन अदालत की दिनांक तक इनका समाधान कराया जाना सुनिश्चित करें। निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रकरणों का निस्तारण करवाने के लिए आपके विभाग के अतिरिक्त निदेशक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करें।

पेंशन अदालत के आयोजन के पश्चात निस्तारित परिवेदनाओं एवं जारी करवायी गयी पेंशन/पारिवारिक पेंशन अधिकृतियों के विवरण के साथ पेंशन अदालत की कार्यवाही रिपोर्ट समीक्षा हेतु वित्त (पेंशन) विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।

(शिवांगी स्वर्णकार)
विशिष्ट शासन सचिव वित्त (बज

पेंशन अदालत हेतु परिवेदना आवेदन फार्म
(पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन स्वीकृति हेतु)

1. कर्मचारी का नाम / पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर ....

2. एम्पलोई आई.डी. / पीपीओ न. / एफपीपीओ नं. ....

3. पदनाम एवं कार्यालय का नाम तथा विभाग का नाम ....

4. सेवानिवृत्ति दिनांक / मृत्यु दिनांक ....

5. यदि सेवा में रहते हुए कार्मिक की मृत्यु के कारण
   पारिवारिक पेंशन का प्रकरण है :
   पेंशन प्रकरण स्वीकृति की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है अथवा नहीं ....

6. पता एवं सम्पर्क नं. (मोबाईल, टेलीफोन एवं ई–मेल आई. डी.) ....

   ....

7. परिवेदना का संक्षिप्त विवरण...

   ....

8. यदि परिवेदना पहले प्रस्तुत / दर्ज की गई है–संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें एवं दर्ज

   शिकायत की प्रति संलग्न करें ....

9. परिवेदना से संबंधित दस्तावेजों की प्रति (यदि कोई हो) ....

10. पेंशन अदालत में व्यक्तिशः उपस्थिति अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ना ....

दिनांक :–

नाम एवं हस्ताक्षर

पेंशन भवन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर – 302005

दूरभाष 2740678, 2741687, 2740694 एवं 2740538

टोल फ्री नं. 18001808182

E-Mail :- dir-pen-rj@nic.in

Website : Pension.rajasthan.gov.in